कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।) राजस्थान, जयपुर

कमांकः- जी.डी.-।।/लेखापरीक्षा-।/आवास-आवंटन /2021/

दिनांक- 2/9/202

<u>परिपत्र</u>

 महालेखाकार कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर में निम्न आवासों के लिए प्रारंभिक आवंटन/ आवास परिवर्तन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

आवास का टाइप	आवास संख्या	
टाइप-॥	II-04, 73, 114, 181, 182, 183, 211, 212	i
टाइप -॥।	III-01, 04, 12, 13, 49,92, 125, 166, 170, 185, 213 से 256	
टाइप -IV	IV-23	

2. आवासों का आवंटन 'आवास आवंटन नियमावली-2021' (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्सार किया जाएगा जो सभी आवेदकों के लिए बाध्यकारी होंगे ।

3. आवेदक पात्रता श्रेणी के एक नीचे की श्रेणी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

4.टाइप -॥ के आवास केवल आवास परिवर्तन चाहने वाले ऐसे पात्र आवेदकों को आवंटित किये जायेंगे जिन्हें वर्तमान में महालेखाकार कॉलोनी में टाइप -॥ का आवास आवंटित है और उन्होंने अपना प्रथम परिवर्तन उपभोग नहीं किया है ।

5. आवास संख्या III-185 के लिए एकल महिला (single ladies) एवं आवास संख्या III-13 के लिए विवाहित महिला श्रेणी के आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे|

6. आवास संख्या ॥-182, ॥।-214, ॥।-234 अनुसूचित जाति तथा ॥।-254 अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आरक्षित रहेंगे|

7. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र सम्बंधित प्रशासन अनुभाग के माध्यम से दिनांक 15.09.2021 तक जी.डी.-॥ अनुभाग में पहुँच जाने चाहिए। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

8. विभिन्न टाइप के आवासों के प्रारंभिक आवंटन /आवास परिवर्तन के लिए एक ही आवेदन भरा जाना है।

9. जिन कर्मचारियों/अधिकारियों ने उन्हें पूर्व में महालेखाकार कॉलोनी में आवंटित आवास 15.09.2020 या इसके पश्चात् समर्पित किया है वे आवास आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे | 10. आवेदक अधिकतम 25 आवासों के लिए preference दे सकेगा| आवासों की उपलब्धता, ाविदक की वरिष्ठता एवं आवेदक द्वारा दी गई preference के अनुसार आवासों का आवंटन किया आयेगा|

11. यदि कोई आवेदक आवास आवंटन के प्रस्ताव की तिथि से आठ दिनों के भीतर आवास के आवंटन को स्वीकार करने में विफल रहता है या आवंटन की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर उस आवास का कब्ज़ा लेने में विफल रहता है तो वह उस टाइप के आवास के लिए एक महीने के साइसेंस शुल्क के भुगतान के अधीन आवंटन की अस्वीकृति की तिथि से तीन महीने की अवधि के आग आवास के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र हो जाएगा।

12. यदि कोई व्यक्ति जिसे पहले से निम्न श्रेणी का आवास आवंटित है आवास के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, तो उसे पहले से आवंटित आवास का कब्ज़ा जारी रखने की जनुमति होगी किन्तु वह इस तरह के आवंटन को स्वीकार न करने की तारीख से छह महीने की अग्रंथ के लिए दूसरे आवास के आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा ।

13. यदि कोई व्यक्ति आवास के परिवर्तन का प्रस्ताव दिए जाने के आठ दिनों के भीतर पर तावित आवास को स्वीकार करने में विफल रहता है, तो उसे उस टाइप के आवास के परिवर्तन के जिए फिर से पात्र नहीं माना जाएगा।

14. यदि कोई व्यक्ति आवास के परिवर्तन को स्वीकार करने के बाद भी उस पर कब्जा करने क विफल रहता है, उस से पहले से ही उसको आवंटित आवास के सामान्य लाइसेंस शुल्क के अलावा एक महीने का लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा तथा उसे पूर्व में आवंटित आवास का आवंटन जारी रहेगा।

15. सभो कर्मचारियों/अधिकारियों पूर्व में आवास आवंटनं के लिए आवेदन किया था एवं जिन्हें आवास आवंटित नहीं किया गया है, की वरीयता इस परिपत्र के जारी होने की तिथि को समाप्त साली जावेगी । अतः आवास की आवश्यकता होने पर ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनः आवेदन करना आवश्यक है ।

16.नियंत्रक अनुभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समूह मे कार्यरत सभी

17. आवास आवेदन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सहायता के लिए किसी भी कार्य दिवस न इस अन्भाग में सायं 3.00 बजे से 4.00 बजे के मध्य संपर्क किया जा सकता है।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ जी.ई

क्रमांकः- जी.डी.-।।/लेखापरीक्षा-।/आवास-आवंटन /2021/399 - ५०२ दिनांक- २/१)२०२) जिस-१० (५५० ८० प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित हैः-

1.महानिदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, महालेखाकार कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर ।

2. प्रभारी अधिकारी, वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा कार्यालय, 2nd floor वी.के. काम्पलेक्स, सहकार मार्ग, जयपुर

3. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय, जगतप्रा, जवाहर सर्किल, जयपुर ।

4. वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी, पर्यावर्णीय लेखापरीक्षा एवं सतत् विकास केन्द्र, प्लाट न. 6-7, कांट कालवाड, रीको इन्डस्ट्रियल एरिया, ताला मोड, तहसील अचरोल, जिला-जयपुर

5.सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।), सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।।), सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर ।

6.वरि. लेखाअधिकारी, जी.डी. (लेखा व हक.) अन्भागों व नोटिस बोर्ड हेत्

7.वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, सामान्य अनुभाग-।।। (लेखापरीक्षा-।।) अनुभागों व नोटिस बोर्ड हेतु

8.वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, सामान्य अन्भाग-। नोटिस बोर्ड हेत् ।

9.वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, सामान्य अनुभाग 0/o PDCA अनुभागों व नोटिस बोर्ड हेतु। 10. समस्त अनुभाग (नियंत्रक अनुभाग कृपया निरीक्षण दलों को अपने स्तर पर सूचित करें)

INSTRUCTIONS

1. Please fill up the form in **BLOCK LETTERS** only.

2. Fill dates as day (01-31), month (01-12) & year (2009) in the format DD-MM-YYYY.

3. Please tick (\checkmark) wherever required to do so.

4. Pools have been coded as follows:

GP : General Pool SC: SC Pool ST : ST Pool LS : Ladies Single Pool LM : Ladies Married Pool

5. Eligibility for allotment of house type shown in table below:

Type of residences	Pre-revised Grade pay/Basic Pay (6 th CPC)	Level in pay matrix. (7 th CPC)					
I	1300, 1400, 1600, 1650, 1800	1					
II	1900, 2000, 2400, 2800	2, 3, 4, 5					
	4200, 4600, 4800	6, 7, 8					
IV	5400, 6600	9, 10, 11					

6. Please ensure that the application is complete in all respect, signed by the applicant, and forwarded and stamped by the Forwarding Officer of your Office.

7. If any allottee fails to accept the allotment of a residential accommodation within eight days from the date of allotment of the said accommodation, or fails to take possessions of that accommodation within five working days from the date of receipt of the letter of authorization, she/he shall be debarred to apply for accommodation for a period of three months from the date of non-acceptance of allotment subject to payment of one month's licence fee for that type of accommodation.

8. If an allottee occupying a lower type of accommodation refuses to accept the offer of an accommodation of the type for which she/he is eligible under these rules, she/he shall be permitted to continue in the previously allotted accommodation: Provided that such allottee shall not be eligible for another allotment for a period of six months from the date of non-acceptance of such allotment.

9. If an officer fails to accept a change of accommodation offered to her/him within eight days of the issue of such offer or allotment, she/he shall not be considered again for a change of accommodation for that type of accommodation.

10. An officer who, after accepting a change of accommodation fails to take possession of the same, shall be charged one month licence fee for such accommodation in accordance with the provisions of these rules in addition to the normal licence fee for the accommodation already in her/his possession the allotment of which shall continue to subsist

11. The applicant shall furnish various particulars in form specified which shall be verified by the office of the applicant and in case of any discrepancy in the application or furnishing of incorrect information in the application, the applicant and the verifying officer shall be liable for furnishing of incorrect information and disciplinary action shall be taken against them including cancellation of allotment of accommodation if allotment was made based on incorrect information.

Office of the Accountant General (Audit-I) Rajasthan, Jaipur

1. Full Applica		of Shri	/ Smt. / N	ſs.															
2.Uniq	ue ID							Mo	obile N	۱o.									
3. Name of Father / Spouse													•						
4.Desi	4.Designation Section																		
5. Offi	се																		
6.Serv	ice Sta	tus	ay Le	evel 9	9. Date	e of e	enteri	ng in	Pres	ent	Pay	Lev	/el						
Tempo	orary	Permaner	nt						D	D	-	Μ	Μ	-		(Υ	Y	Υ
10.Dat	e of Bi	rth	·			ate of R annuat		ement	on				12.Are you entitled for House Rent Allowance (HRA)?						
DD	_	M M -	YY	YY	DD	[Μ	М -	Y	Y	Y		Yes No						
13. Da	te fron	n which co	ntinuously	/	14. Da	ate fron	n wh	nich cor	ntinuo	uslv	poste	ed							
		Central Go				Jaipur.				,									
DD	<u> </u>	M M -	YY	YY	D		Μ	M -	Y	Y	Y	Y							
15.Len	gth of	Military Se	rvice (If a	nv)							_	_							
From	D	D -	MM		/ Y	Y	γ	to	D	D	-	Μ	Μ	-		Y	Y	Y	Y
16. Sex	x			17. Ma	arital St	atus									18.0	ate	gorv	/	
Male		Female	Other				Sing	gle				N	/arrie		Ger		S		ST
				Unma	rried	Widov		Widov	wer	Div	orcee	2			OBO	-			
19. Pre	esent r	esidential a	address	1		I				I				1					1
20. Nu	mber o	of member	s residing	with you	u who v	vill con	tinue	e to do	so aft	er th	ne								
		accommod	-	•															
21.	Detai	ls of family	/ members	s :-															
	S.No	Name S	hri/Smt/N	1s.				Date	of	Rel	ations	ship			Add	Ires	s of	office	e
						Birth									where employed				
22.	Are v	ou / your s	pouse occ	upying a	ccomm	nodatio	n all	otted i	n A. G	. Col	ony, J	aipu	r.	T	ype		Q	uarte	er No.
	Are you / your spouse occupying accommodation allotted in A. G. Colony, Jaipur. Type Quarter If yes, please give details :																		
23.					n chang	e?													
	 Are you applying for the quarter in change? if yes, give reasons 																		
24.																			
	presently																		
		,																	
25.	Are y	ou debarre	d from all	otment	of	Yes	No		If Ye	s, up	o to w	hich	date						
		residence							D	D	-	Μ	Μ	-		Y	Υ	Y	Υ
														-					

26.	Are you / your spouse occupying accommodation allotted by / from any							Yes No				
26.	Departmer	•	res		NO							
	If yes,	Departm										
	please		vernment									
	give	with Offic	ce address									
	details											
		Name of	Allottee									
		Address of	of House									
		Date of A	llotment									
27.	Do you / your spouse / your dependent				dren own a house within	Yes		No				
	Jurisdiction of Local Municipality or any											
	If yes, Owner's Name				lationship with	Address of	•					
	please	Rateable Value of House pe			plicant							
	give				·							
	details											
					num, if any	Monthly	hly Rental Income, if any					
			· ·		· · · ·							
28.	Pool(s) und	der which a	pplied									
	GF	C	SC		ST	LS		LM				
29.	Preference of quarters											
	1	2		3		4		5				
	6	7		8		9	10					
	11	12		13		14		15				
	16	17	17			19		20				
Ì	21 22			23		24		25				
	21											

Declaration by the Applicant:

A. I solemnly affirm and declare that the information given above is correct to the best of my knowledge and no part thereof is false or concealed.

B. I agree to abide by the Allotment of Government Residences (IA&AD) Rules, 2021 as amended from time to time or relevant allotment rules as applicable.

C. I am working in an eligible office located at Jaipur.

D. I am aware of the penalties, which can be imposed in the event of refusal of acceptance of allotment of accommodation of the entitled type or furnishing of false information, subletting /misuse of the premises, furnishing of incorrect information.

Date: _____

Signature of the Applicant : _____

To be filled by the forwarding officer

Signature of SrAO/AAO Administration (with date and office seal)